न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code – UP1893
आपराधिक स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र–239/2026
कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 480/2026
(CNR No: UPGZ010065622026)

सुरेन्द्र कुमार.....बनाम.....विवेक गोयल व अन्य
.....

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र का निस्तारण

दिनांकः10–07–2026

1– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट गाजियाबाद में विचाराधीन अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1047/2026 सरकार बनाम विवेक गोयल आदि को उक्त न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त की ओर से उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 04–05–2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसपर लगातार तारीख नियत चली आ रही है तथा उक्त केस का अभियुक्त, वादी को स्वयं वे अपने साथियों के माध्यम से सूचना भिजवाता रहता है कि उसकी जमानत निश्चित रूप से अगली तिथि पर स्वीकार हो जाएगी। यह भी कहा गया कि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18–05–2026 को स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा अभियुक्त के रिश्तेदार जो अधिवक्ता के साथ थे, उनके द्वारा बताया कि उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर 22–05–2026 लग जाएगी जबकि तिथि पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। उक्त से स्पष्ट है कि सम्बंधित न्यायालय अभियुक्त के प्रभाव में है, जिस कारण वादी को सम्बंधित न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रही है। निवेदन किया गया है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट से वापस लेकर विधिसम्मत निस्तारण हेतु किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए।

2– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर सम्बंधित न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी की आख्या आहूत की गयी। जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1047/26, मु०अ०सं० 94/2026 विवेक गोयल बनाम सरकार, अंतर्गत धारा–316(2),318(4), 351(2), 351(3), 338, 336(3),340(2)बी०एन०एस० थाना वेवसिटी दिनांक 05–05–2026 को उक्त न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसमें अग्रिम तिथि 12–05–2026 पर पुकार पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात् अग्रिम तिथि 18–05–2026 को अभियुक्त की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर सुनवाई हेतु 22–05–2026 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 22–05–2026 को वादी की ओर से मौखिक कथन करते हुए कहा गया कि उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र लंबित है, जिसपर 05–06–2026 की तिथि नियत की गयी। अग्रेतर आख्या में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को असत्य एवं निराधार होना कहा गया है तथा आख्या में यह भी अंकित है कि उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

3– उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में सम्बंधित न्यायालय से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किए जाने हेतु मात्र यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा प्रार्थी/वादी को यह सूचना दी जाती है कि उसकी जमानत

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.07.14 11:03:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्वीकार हो जाएगी तथा सम्बंधित पीठासीन अधिकारी अभियुक्त के प्रभाव में है जिस कारण प्रार्थी को सम्बंधित न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसके विपरीत सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को असत्य एवं निराधार होना कहा गया है। आवेदक द्वारा दर्शित कारण कथित मौखिक जानकारी एवं मात्र आशंका पर आधारित हैं, जिनके दृष्टिगत् अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

राजाराम बनाम अशोक कुमार, 2015(108)एएलआर 753(एल.बी.) में माननीय इलाहाबाद न्यायालय(लखनऊ पीठ) द्वारा यह कहा गया था किः–

"केवल अनुमान या संभावित आशंकाएं किसी मामले के स्थानान्तरण के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं।"

4– जब किसी मामले को पूर्वाग्रह की आशंका के आधार पर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं इसलिए इस आधार पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालयों द्वारा न्यायिक संवीक्षा के लिए खुले हैं। आवेदक पक्ष द्वारा सम्बंधित पीठासीन अधिकारी की तटस्थता और निष्पक्षता के खिलाफ पत्रावली पर कोई सामग्री या सबूत नहीं प्रस्तुत किया गया है।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में किए गए तथ्यों के दृष्टिगत बिना किसी ठोस एवं तथ्यात्मक साक्ष्य के अभाव में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तदनुसार स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 10.07.2026